



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2388]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 1, 2016/आश्विन 9, 1938

No. 2388]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 2016/ASVINA 9, 1938

कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

का.आ. 3112(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खंड (घ) और धारा 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सं. का.आ. 2666 (अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2014 भारत के राजपत्र, के असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन (कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के

(i) पैराग्राफ 1 में

(क) क्र.सं. (i) से सम्बंधित प्रविष्टि में "बकरी और सुअर" शब्दों के स्थान पर "बकरी, सूअर और मछली" शब्द रखे जायेंगे.

(ख) क्र.सं. (vii) से सम्बंधित प्रविष्टि में "अंडा और बीज" शब्दों के स्थान पर 'अंडा बीज और उत्पाद' शब्द रखे जाएंगे.

(ग) क्र.सं. (xxx) और उससे सम्बंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी अर्थात्:

(ii) अनुसूची में –

(क) पैराग्राफ (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) भूमि, हवा या समुंद्र द्वारा पशुधन उत्पादों के कंसाइन्मेंट को आयात करने संबंधी अनुमति के लिए सभी आवेदन भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा पशुधन उत्पादों के लिए स्वच्छता आयात परमिट प्रणाली संबंधी वेब पोर्टल (<https://sip.nic.in>), पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से "क" या प्ररूप "ख" में किए जाए,

(ख) पैराग्राफ (3)

(I) उप- पैराग्राफ के (vii) में जिन दो जगहों पर कोष्ठक तथा अक्षर "(XXIV)" आए हैं वहां उनके स्थान पर कोष्ठक तथा अक्षर "(XXV)" रखे जाएंगे,

(II) उप- पैराग्राफ के (viii) में कोष्ठक तथा अक्षर "(XXV)" के स्थान पर कोष्ठक तथा अक्षर "(XXVI)" रखे जाएंगे,

[फा. सं .110-2/2013-व्यापार]

डॉ ए जे वी प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 2666 (अ) के द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2014 को प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 2640 (अ) तारीख 05 अगस्त, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

S.O. 3112(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 and section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O 2666(E), dated the 17th October, 2014, namely:-

In the said notification, –

(i) In paragraph 1, -

- (a) In the entry relating to sl. no.(i), for the words “goats and pig”, the words “goat, pig and fish” shall be substituted;
- (b) In the entry relating sl. no.(vii), for the words “Eggs and seeds”, the words “Egg, seeds and products” shall be substituted;
- (c) after sl. no.(xxx) and the entry relating thereto, the following sl. no and entry shall be inserted, namely:-
- (d) ‘(xxxi) Animal bile’;

(ii) In the Schedule, -

(a) for paragraph (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) All applications for permit to import livestock products consignments by land, air, or sea shall be made electronically on the web portal of Sanitary Import Permit System for Livestock Production (<https://sip.nic.in>), maintained by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, in either Form A or Form B”;

(b) In paragraph (3),-

- (I) in sub-paragraph (vii), for the brackets and letters “(XXIV)” in both the places where they occur, the brackets and letters “(XXXV)” shall be substituted;
- (II) in sub-paragraph (viii), for the brackets and letters “(XXV)”, the brackets and letters “(XXVI)” shall be substituted.

[F.No.110-2/2013-Trade]
Dr. A.J.V. PRASAD, Jt. Secy.

Note:— The principle notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 2666 (E), dated the 17th October, 2014 and last amended vide notification number S.O. 2640 (E), dated 05th August, 2016.